तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
30.1.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। वकील अर्थी की बहस T.I. सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा०पत्र T.I. हेतु दिनांक 9-2-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9.2.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई। वकील अर्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी सं. 1 विवादित भूमि का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रथम दृष्टया केस रिकॉर्ड खातेदार अप्रार्थी के पक्ष में है। रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा दिये जाने मे सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष मे है अतः न्यायालय रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.12 17:40:25 IST
Reason: SelfAttested